राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

<u>अधिसूचना</u>

जयपुर, दिनांकः 08.03.2011

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) सपठित धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, स्टाम्प ड्यूटी के लिये इसके द्वारा निम्नानुसार विशेष राहत योजना लागू करने का आदेश देती है:-

1. कलक्टर (मुद्रांक) के कार्यालय में इस अधिसूचना की दिनांक तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी कम की जावेगी एवं रेफरेन्स में अंकित स्टाम्प ड्यूटी की वसूलनीय राशि में 30 प्रतिशत की रियायत दी जावेगी, यदि स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की वसूलनीय राशि दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा दी जाती हैं। इन मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी।
2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक के पश्चात् एक पक्षीय निर्णित मुद्रांक प्रकरण, जिनमें रेफरेन्स में अंकित वसूलनीय स्टाम्प ड्यूटी में कोई कमी नही की गई हैं, स्टाम्प ड्यूटी कम की जावेगी एवं वसूलनीय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 30 प्रतिशत की रियायत दी जावेगी, यदि ऐसी वसूलनीय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा दिया जाता हैं ऐसे मामलों में अधिरोपित शास्ति एवं ब्याज का भी परिहार किया जावेगा।
3. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक तक निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के अनुसार स्टाम्प ड्यटी एवं पंजीयन शुल्क दिनांक 31.03.11 तक जमा करा दिया जाता हैं तो उन मामलों में अधिरोपित शास्ति व ब्याज का परिहार किया जायेगा।
4. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक तक निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के अनुसार वसूलनीय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की सम्पूर्ण राशि दि. 31.3.11 तक जमा करा दी जाती है तो उन मामलों में अधिरोपित शास्ति एवं ब्याज का परिहार किया जायेगा।
5. दस्तावेज के पंजीयन के पश्चात् ऑडिट आक्षेप या निरीक्षण के आधार पर कमी स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस उपपंजीयक द्वारा धारा 54, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत पक्षकारों को जारी किये गये हैं, उन मामलों में स्टाम्प ड्यूटी कम की जावेगी एवं नोटिस में वर्णित स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 30 प्रतिशत रियायत दी जावेगी, यदि स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की राशि दिनांक 31.03.11 तक जमा करा दी जाती हैं।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में जमा कराई जा चुके, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का प्रतिदाय (refund) देय नही होगा।

(प.2(11)वित्त/कर/03-126)
राज्यपाल के आदेश से

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
10. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव